यू.ओ.नोट

विषयः— कृषि उपज मण्डी समिति प्रतापगढ के मुख्य मण्डी प्रांगण के विस्तार हेतु भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के तहत की जाने वाली लोक सुनवाई सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।

प्रसंग— उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ का पत्र क्रमांक 144—145 दिनांक 03.02.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि कृषि उपज मण्डी समिति प्रतापगढ के मुख्य मण्डी प्रांगण के विस्तार हेतु अवाप्त की जाने वाली 2.11 हेक्टेयर भूमि के लिये भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 5 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 7 के प्रावधानानुसार लोक सुनवाई बैठक सूचना को राज्य सरकार/विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराया जाना है। इस हेतु सूचना की प्रति संलग्न कर विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(आशु चौधरी)
अतिरिक्त निदेशक

प्रभारी अधिकारी
कम्प्यूटर शाखा
मुख्यालय, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांकः—प.76/निकृवि/भू.अ./प्रतापगढ़/47610
जयपुर दिनांक 08.02.21

E:\vidhi\u-o-note.doc

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ (राज0)

क्रमांक / राजस्व / भू.अ. / 2021 / 134-141 दिनांक 03/02/2021

<u>-:: लोक सुनवाई सूचना ::-</u>

कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़ के मुख्य मण्डी प्रांगण के विस्तार हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि खसरा संख्या 769, 770, 771, 772 एवं 773 कुल रकबा 2.11 हैक्टर भूमि के लिए केन्द्रीय भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 5 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 07 के प्रावधानानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट प्रतिवेदन पर लोक सुनवाई की बैठक का आयोजन दिनांक 26.02.2021 को दोपहर 01:00 बजे मण्डी प्रांगण, प्रतापगढ़ स्थित किसान भवन में किया जाना है। इस बैठक में समस्त प्रभावित व्यक्तियो एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

3/02/2021

उपखण्ड अधिकारी
प्रतापगढ़